राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांकः प. 5( )ग्रावि/अनु–5/SPMRM/Line Dept./2020/पार्ट–I   जयपुर दिनांक : 12.12.2022

–::बैठक सूचना::–

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (SPMRM) योजनान्तर्गत राज्य के 13 जिलो के 15 कलस्टर्स में क्रियान्वित किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत इन कलस्टरों में शहरी मानी जाने वाली सुविधाओं को उपलब्ध कराते हुए ग्रामीण जनजीवन के मूल स्वरूप को बनाये रखते हुए इन कलस्टरो को रूर्बन गांवो के रूप में विकसित करना है। योजनान्तर्गत 21 घटकों में सभी लाईन विभागों के कार्यो को विभागीय योजनाओ से अभिसरण कर स्थापित कर गैंप को पूरा किये जाने हेतु योजना मद से (Critical Gap Fund) द्वारा कार्य पूर्ण कराये जाने के प्रावधान है। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा उक्त योजना को 31 मार्च 2022 के उपरांत अनिन्तरित कर दिया गया है। उक्त क्रम में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 31 मार्च 2022 को रूर्बन सॉफ्ट MIS पर प्रदर्शित प्रगतिरत कार्यो को 31 दिसम्बर 2022 तक आवश्यक रूप से पूर्ण कराये जाने एवं 31 दिसम्बर 2022 के पश्चात योजना मद से किसी भी कार्य पर कोई भी राशि व्यय नहीं करने के निर्देश है।

उक्त क्रम में **अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि की अध्यक्षता में योजना संबंधित विभागो के प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/निदेशक एवं संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ** प्रगति की समीक्षात्मक बैठक **(वीडियों कॉफ्रेंसिग NIC के माध्यम) दिनांक 15.12.2022 को अपरान्ह 1:00 बजे से 2:00 बजे तक विभागीय** समिति कक्ष, प्रथम तल, ग्रामीण विकास विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर सें प्रस्तावित है। बैठक में योजनान्तर्गत निम्न बिन्दुओं पर चर्चा प्रस्तावित है :–

1. 31 मार्च 2022 को रूर्बन सॉफ्ट MIS पर प्रदर्शित प्रगतिरत कार्यो को 31 दिसम्बर 2022 तक आवश्यक रूप से पूर्ण कराये जाने पर चर्चा।
2. रूर्बन सॉफ्ट MIS पर 31 मार्च 2022 को जिओ टैंगिग/ तकनीकी समस्याओ के कारण प्रदर्शित नहीं हो सके प्रगतिरत/पूर्ण कार्यो की दायित्व राशि के संबंध में चर्चा।
3. योजनान्तर्गत रूर्बन सॉफ्ट MIS पर अपलोड होने से शेष Legacy Data अपलोड/प्रविष्टि कराने पर चर्चा।

उक्त प्रस्तावित बैठक (विडियों कॉफ्रेंसिग माध्यम से) में नवीनतम प्रगति के साथ भाग लेने का श्रम करावें।

(मंजू राजपाल)
शासन सचिव, ग्राविवि

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
2. स्टेट मिशन डायरेक्टर, राजीविका।
3. प्रशासक एवं प्रबंध निदेशक आरसीडीएफ लिमिटेड।
4. प्रबंध निदेशक, आरएसएलडीसी लिमिटेड।
5. आयुक्त, सूचना प्रौद्यौगिकी एवं संचार विभाग।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, (ग्राविप्र) जिला परिषद,भरतपुर, जोधपुर, उदयपुर, बाडमेर, नागौर, बीकानेर, अलवर, जालौर, बांसवाडा, प्रतापगढ़, जयपुर, डूंगरपुर एवं हनुमानगढ़।
7. प्रभारी अधिकारी NIC को भेजकर लेख है कि दिनांक 15.12.2022 को अपरान्ह 1:00 बजे से 2:00 बजे तक स्लोट आवंटित करने का श्रम करावें।
8. परियोजना अधिकारी (प्रशासन) ग्रामीण विकास विभाग को भेजकर लेख है कि उक्त बैठक में आवश्यक व्यवस्था हेतु संबंधित को निर्देशित करावे।

अधीक्षण अभियंता, ग्रा.वि.